पत्र संख्या : 7ब/विविध ज०सं०–04/2015 55

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

राँची, दिनांकः 26-6-15

द्वाराः– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिडेड के बैंक खाता/पी॰एल॰ खाता से राशि निकासी के संबंध में।**

महाशय,

जल संसाधन विभाग से निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संख्या–74/31.03.2012, 21/05.07.2013, 83/22.02.2014, 12/16.06.2014, 13/16.06.2014, 37/09.10.2014, 38/09.10.2014, 45/20.10.2014, 46/20.10.2014, 69/24.10.2014, 70/24.10.2014, 71/24.10.2014, 73/18.11.2014 तथा आवंटनादेश संख्या–282 दिनांक 24.03.2014, 88 दिनांक 06.08.2014, 89 दिनांक 06.08.2014, 90 दिनांक 06.08.2014, 91 दिनांक 06.08.2014, 95 दिनांक 11.08.2014, 149 दिनांक 18.12.2014, 150 दिनांक 18.12.2014, 190 दिनांक 12.02.2015, 191 दिनांक 12.02.2015, 195 दिनांक 13.02.2015, 247 दिनांक 25.02.2015, 284 दिनांक 24.03.2015 एवं 285 दिनांक 24.03.2015 के पत्रों में उल्लेखित है कि राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

वर्त्तमान में संयुक्त सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पद दिनांक 01.02.2015 से रिक्त है, जिसके कारण झालको द्वारा राशि की निकासी नहीं हो पा रही है तथा कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन लि॰ (झालको) के निदेशक मंडल की दिनांक 16.06.2015 को सम्पन्न 34वीं बैठक में संयुक्त सचिव (अभि॰) के स्थान पर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची तथा प्रबंध निदेशक झालको के संयुक्त हस्ताक्षर से बैक खाता तथा पी॰एल॰ खाता के संचालन का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थान पर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची को झालको के बैंक खाता तथा पी॰एल॰ खाता के संचालन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी तथा संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) के पदभार/पदस्थापन के फलस्वरूप स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 55 राँची, दिनांक :– 26-6-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/संयुक्त सचिव (प्र०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/प्रबंध निदेशक, झालको/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव